20327 11/9/17

प्रथम अपील

Appeal No. 922 /Appeal Cell/RTI/NWD
Dated 11/9/2017

श्रीमान् प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय – उपायुक्त पुलिस,
जिला– उत्तरी पश्चिमी, अशोक विहार
दिल्ली–110052

विषय :– सूचना उपलब्ध कराने हेतु Appeal No. 200 Appeal Cell/RTI
Dated 11/09/2017

RTI Appeal

महोदय,

हमारे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 28.07.2017 को श्रीमान् सहायक/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय–पुलिस उपायुक्त, जिला–नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली को आरटीआई पत्र मय 10/– रूपये का भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक 40F 777462 जरिये रजिस्टर डाक द्वारा प्रेषित कर सूचना चाही गई थी। जिसके प्रतिउत्तर में दिनांक 04.09.2017 को श्रीमान जनसूचना अधिकारी व अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस, उत्तरी पश्चिमी जिला, अशोक विहार, दिल्ली 110052 का पत्र आई0डी0 संख्या 2483/17/8028/आरटीआई सैल/ उ0प0जि0/ दिनांक 30.08.2017 हमारे कार्यालय में प्राप्त हुआ। जिसमें हमें यह अवगत कराया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) के तहत सूचना नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह एक व्यक्तिगत सूचना है। (सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि संलग्न) अतः श्रीमान् जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि श्री अखिलेश कुमार द्वारा एफ.आई.आर नं. 017436/2017, दिनांक 07/06/2017 को पुलिस स्टेशन–आदर्श नगर, जिला–नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली में धारा 379 आई.पी.सी. के अन्तर्गत गाडी नम्बर DL 01 YC 9979, इंजन नम्बर–1ND1256599, चैचिस नम्बर–MBJB4ZBT800026184 चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाडी चोरी होकर चले जाने पर गाड़ी मालिक श्री प्रकाश शर्मा द्वारा गाड़ी के बीमें की रकम प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके निपटारे हेतु यह जानना अति आवश्यक है।

- यदि उक्त मामले में वाहन की बरामदगी हुई तो साथ ही साथ यह बतायें कि वाहन किस अवस्था में और किस पुलिस स्टेशन में जब्त खड़ा है और जब्ती ज्ञापन देने का कष्ट करें
- यदि उक्त मामला **सत्य/झूठ/अज्ञात/अदमपता** में आपने अंतिम रिपोर्ट लगाई है तो बताये कि अंतिम रिपोर्ट किसमें प्रेषित की गयी है एवं **अंतिम रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि देने का कष्ट करें।**
- यदि उक्त मामला अनुसंधान अन्तर्गत है तो अब तक के अनुसंधान में गाड़ी चोरी का काण्ड **सत्य** प्रतीत होता है या **असत्य** बताने का कष्ट करें।
- यदि उक्त मामले में कोई दोषी गिरफ्तार किया गया है और उससे वाहन से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त हुई जिससे वाहन बरामदगी की संभावना है बताने का कष्ट करें।
- यदि भविष्य में चोरी हुआ वाहन की बरामदगी होती है तो कृपया हमें सूचित करने का कष्ट करें।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कृपया कर उचित कार्यवाही करते हुए सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संदर्भ संख्या :–18/016658
संदर्भ संख्या :–06.09.2017

Darshan Arya
दर्शन आर्य
ई–8, ईपीआईपी, रीको इन्डस्ट्रीयल एरिया,
सितापुरा, जयपुर, राजस्थान–302022
ई–मेल :–darshan.arya@shriramgi.in

Scanned by CamScanner